



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072021-228372
CG-DL-E-20072021-228372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2659]
No. 2659]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2021/ आषाढ़ 28, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2021/ASHADHA 28, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

का.आ. 2865(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1489(अ) दिनांक 07.04.2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565 के कि.मी. 133.922 से कि.मी. 154.900 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05.05.2021" को "द हिन्दू (इंग्लिश)" और "आंध्रप्रभा (तेलुगु)" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 565 के कि.मी. 133.922 से कि.मी. 154.900 तक के भूखण्ड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: प्रकाशम्			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पुल्ललाचेरुवु				
	गांव का नाम: एंडरापल्ली				
1	42 / 1 A	निजी	ड्राई	0.0324	अलीसम वेंकटा रेड्डी स / ओ मल्ला रेड्डी ()
2	42 / 3	सरकारी	वगु पोरंबोके	0.2167	वागु पोरंबोके ()
3	428 / 5	सरकारी	हिल पोरंबोके	0.4823	हिल पोरंबोके ()
4	429 / 2	सरकारी(डॉटेड लैंड)	ड्राई	0.1249	१. आम्बोतु लक्ष्मीबाई व / ओ चिल्या नाइक २. आम्बोतु चीना लक्ष्मीबाई व / ओ आक्या नाइक ३. आम्बोतु आक्या नाइक स / ओ चिल्या नाइक ()
5	429 / 5	सरकारी(डॉटेड लैंड)	ड्राई	0.3238	१. आम्बोतु लक्ष्मीबाई व / ओ चिल्या नाइक २. आम्बोतु चीना लक्ष्मीबाई व / ओ आक्या नाइक ३. आम्बोतु आक्या नाइक स / ओ चिल्या नाइक ()

6	44 / 1 B	सरकारी	ड्राई	0.0051	नारु सुब्बारेड्डी एंड अदर्स ()
7	44 / 2 B	निजी	ड्राई	0.0689	संदिरेड्डी वेंकटय्या ()
8	44 / 2 E	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0526	संदिरेड्डी कोटिरेड्डी स / ओ सुब्बैया ()
9	44 / 2 F	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.0202	संदिरेड्डी रमनारेड्डी स / ओ नरसिरेड्डी ()
10	50 / 2	सरकारी	रोड पोरंबोके	0.0147	रोड पोरंबोके ()
11	57 / 2	निजी	ड्राई	0.0162	अलीसम पेड्डा वेंकटा रेड्डी स / ओ चेन्ना रेड्डी ()
12	57 / 4	निजी(पट्टा)	ड्राई	0.051	अवुला चेंचू रेड्डी ()
			कुल	1.4088	

[फा. सं. RC/LA/G1/NH-565/6805/2018 DT 01/01/2019/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th July, 2021

S.O. 2865(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.No.1489(E) dated 07.04.2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 565 in the stretch of land from Km. 133.922 to Km. 154.900 in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu (English)” and “Andhraprabha (Telugu)” both dated 05.05.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 133.922 to Km. 154.900 of National Highway No. 565 in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: PRAKASAM		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/ Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pullalacheruvu					
Village: Yendrapalli					
1	42 / 1 A	Private	Dry	0.0324	Alisam Venkata Reddy S/O Malla Reddy
2	42 / 3	Government	Vagu Poramboke	0.2167	Vagu Poramboke
3	428 / 5	Government	Hill Poramboke	0.4823	Hill Poramboke
4	429 / 2	Government(Dotted Land)	Dry	0.1249	1. Aambothu Lakshmibai W/o Chilya Naik 2. Aambothu China Lakshmibai W/o Aakya Naik 3. Aambothu Aakya Naik S / o Chilya Naik
5	429 / 5	Government(dotted Land)	Dry	0.3238	1. Aambothu Lakshmibai W/o Chilya Naik 2. Aambothu China Lakshmibai W/o Aakya Naik 3. Aambothu Aakya Naik S / o Chilya Naik
6	44 / 1 B	Government	Dry	0.0051	Naru Subbareddy and Others
7	44 / 2 B	Private	Dry	0.0689	Sandireddy Venkataiah
8	44 / 2 E	Private(PATTA)	DRY	0.0526	Sandireddy Kotireddy S / O Subbaiah
9	44 / 2 F	Private(Patta)	Dry	0.0202	Sandireddy Ramanareddy S / O Narsireddy
10	50 / 2	Government	Road Poramboke	0.0147	Road Poramboke
11	57 / 2	Private	Dry	0.0162	Alisam Pedda Venkat Reddy S/O Chenna Reddy
12	57 / 4	Private(Patta)	Dry	0.051	Avula Chenchu Reddy
			TOTAL	1.4088	

[F. No. RC/LA/G1/NH-565/6805/2018 DT 01/01/2019/3A]

RAJESH GUPTA, Director